



आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
ICMR - NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH IN TRIBAL HEALTH
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वा, एवं परि, कल्या, मंत्रालय)
(Dept. of Health Research, Min. of Health & F.W.)
नागपुर रोड, पो.ओ.—गढ़ा, जबलपुर — 482003 (म.प्र.)
Nagpur Road, P.O. - Garha, Jabalpur – 482003 (M.P.)

किराये पर वाहन लेने बावत सूचना

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, नागपुर रोड, गढ़ा, जबलपुर द्वारा अनुसंधान कार्य के लिये मध्यप्रदेश के (1) श्योपुर, (2) शिवपुरी, (3) अशोकनगर, (4) ग्वालियर, (5) मुरैना, (6) दतिया जिलों के ग्रामीण व आसपास के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का दौरा करने के लिए (अधिकतम तीन—चार वर्ष पुराने) व टैक्सी परमिट (ऑल इण्डिया/मध्यप्रदेश) वाले वाहन जैसे स्कार्पिंयो, बुलेरो, ग्राण्डे, जायलो, टवेरा के लिये अलग—अलग निविदायें समस्त खर्चों, करों के साथ डीजल/आइल छोड़कर मासिक दरों (समस्त खर्चों सहित) के आधार पर विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से 17/10/2018 के दोपहर 01:00 पी.एम. बजे तक नियत प्रपत्र पर वाहन के समस्त विवरण व संबंधित कागजातों की छायाप्रति के साथ आमंत्रित करते हैं, जिनकी वैधता कम से कम एक वर्ष तक होनी चाहिए।

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें संस्था के वेबसाइट www.nirth.res.in पर उपलब्ध हैं, जिसके लिए निविदा प्रपत्र के साथ रु. 100/- (जो वापसी योग्य नहीं है) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, वाहन स्वामियों/फर्म को निविदाओं के साथ ई.एम.डी. राशि रु 5000/- जो निदेशक, एनआईआरटीएच, जबलपुर को देय होगा, निविदा पत्रों के साथ जमा करना होगा, ऐसा न होने पर उनका निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिस पर कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा, जिन्हें नियत समयावधि में निदेशक, आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, नागपुर रोड, गढ़ा, जबलपुर को बंद लिफाफे किराये पर लगाने हेतु निविदा लिखकर विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से 17/10/2018 के दोपहर पर वाहन 01:00 पी.एम. बजे तक कार्यालय को प्रेषित/जमा कर सकते हैं। विलंब से प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।

निदेशक

R.M.T.H.
26/10/18

अनुभाग अधिकारी / Section Officer
राजनीति.स्वा.अनुसंधान (भाष्यालय)
N.I.R.T.H. / I.C.M.R.
जबलपुर/ Jabalpur

किराए पर लिए जाने वाले वाहनों के नियम एवं शर्तें

मध्यप्रदेश के निम्नलिखित जिलों :— (1) श्योपुर, (2) शिवपुरी, (3) अशोकनगर, (4) ग्वालियर, (5) मुरैना, (6) दतिया के लिए वाहन उपलब्ध कराने हेतु नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं :—

1. निम्न वाहनों के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं :—
 1. स्कॉरपियों
 2. बोलेरो
 3. ग्रान्डे/जायले
 4. तवेरा
2. नये वाहन (अधिकतम 3 वर्ष पुराने) होने चाहिए, जिसके लिए प्रमाणस्वरूप निविदा प्रस्तुत करते समय वाहन के पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।
3. टैक्सी परमिट (ऑल इण्डिया/मध्यप्रदेश) वाले वाहनों की निविदाओं को ही स्वीकार किया जावेगा।
4. वाहन में सभी प्रकार की विधिक आवश्यताओं की पूर्ति हो, जैसे—रोड टैक्स, इंश्योरेन्स, रोड परमिट, पी0यू0सी0 व अन्य आवश्यक।
5. किराए पर लिए गए वाहन को म0प्र0 के शहरी, ग्रामीण एवं वन्य क्षेत्रों में भ्रमण के लिए उपयोग किया जाएगा।
6. वाहन स्वामी/फर्म प्रत्येक वाहन की अलग—अलग दरें निम्नानुसार दो प्रकार से प्रस्तुत करें, जिसमें समर्त कर, सेवा कर, व्यय, सुधार/मरम्मत व वाहन चालक का व्यय एवं अन्य वाहन से संबंधित संभावित खर्च सम्मिलित हों व दरें कम से कम एक वर्ष तक वैद्य होनी चाहिए।

कम सं0	वाहन का नाम, मैक, मॉडल वर्ष एवं नम्बर	मासिक किराया

5. कार्यालय द्वारा वाहन से संबंधित किसी प्रकार का व्यय, जैसे— वाहन सुधार/मरम्मत व अन्य खर्च (सिवाय डीजल व ऑयल के जो वास्तविक व्यय या कम से कम 10 किलोमीटर प्रति लीटर ए.सी. वाहन के लिए एवं 11 किमी. प्रति लीटर नॉन ए.सी. वाहन के लिए की दर से व ऑयल 1000 किमी. पर 1 लीटर एवं 500 किमी. पर आधा लीटर कार्यालय द्वारा दिया जाना छोड़कर) वहन नहीं किया जाएगा और न ही कोई नाइट हाल्ट या अन्य प्रभार दिया जावेगा। यदि वाहन ड्यूटी के दौरान खराब हो जाता है तो वाहन स्वामी/फर्म को या तो वाहन तुरन्त सुधरवाना होगा या फिर दूसरा वाहन उसी जगह भेजकर उपलब्ध कराना होगा। यदि ऐसा न हुआ तो वाहन का उसके बाद किराया व अन्य जायज व्यय कोई होगा तो काट लिया जावेगा।
8. उन्हीं वाहन स्वामियों/फर्म की निविदा को यदि न्यूनतम पाई जाती है, तो स्वीकार की जाएंगी, जिनके स्वामित्व में कम से कम तीन टेक्सी परिमिट वाले वाहन होना चाहिए, एवं PAN Number व R.T.O. से अधिकृत साक्ष्य प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है।
9. वाहन स्वामी/फर्म द्वारा LTV लाइसेन्सधारी, कुशल व अनुभवी वाहन चालक उपलब्ध कराएंगे एवं वाहन चालक के समस्त प्रकार के खर्च (स्थानीय एवं बाहर होने पर) वाहन स्वामी/फर्म को वहन करना होगा।

10. स्थानीय ड्यूटी या फील्ड भ्रमण के दौरान किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना/विवाद आदि के लिए वाहन स्वामी/फर्म स्वयं जवाबदार होगा, कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वाहन से संबंधित समस्त प्रकार की वैधानिक कार्यवाहियां यदि कोई हो तो वाहन स्वामी/फर्म की जवाबदारी होगी और कार्यालय को इससे कोई संबंध नहीं होगा।
11. वाहन को कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार स्वामी/फर्म को मांगे गए नियत स्थान, समय व तारीख पर वाहन समस्त सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराना होगा।
12. वाहन स्वामी/फर्म को वाहन की निविदा देते समय वाहन से संबंधित समस्त जानकारी, जैसे— वाहन का नाम, मॉडल, मैक (निर्माण वर्ष), वाहन के पंजीयन की तारीख, बीमा की वैद्यता, वाहन का प्रकार व अन्य जानकारी आदि का ब्यौरा उपरोक्त जानकारी के प्रमाण की छायाप्रति के साथ संलग्न कर निविदाएं जमा करनी होंगी।
13. निविदाएं इस प्रकार भेजी जानी चाहिए, जिससे वे नियत तिथि या इसके पूर्व इस कार्यालय को प्राप्त हो जाएं, अन्यथा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
14. निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम दिनांक 17/10/2018 के दोपहर 01:00 पी.एम. बजे है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दिनांक 17/10/2018 के दोपहर 03:00 पी.एम. बजे खोला जावेगा।
15. निविदा प्रपत्र की कीमत रु. 100/- (वापिसी योग्य नहीं) है, जिसमें समस्त प्रकार के नियम एवं शर्तें उल्लेखित हैं।
16. डाक या कोरियर द्वारा प्राप्त निविदा नियत तिथि तक स्वीकार की जावेगी।
17. वाहन स्वामियों/फर्म को निविदाओं के साथ ई.एम.डी. राशि रु. 5000/- जो निदेशक एनआईआरटीएच जबलपुर को देय होगा निविदा पत्रों के साथ जमा करना होगा ऐसा न होने पर उनका निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
18. 500/- नॉन जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एक वर्ष की अवधि के लिये करार नामा निदेशक एनआईआरटीएच के पक्ष में करना होगा।
19. सिक्योरिटी डिपाजिट 25,000/- एफ.डी.आर. या बैंक डाफ़्ट निदेशक एनआईआरटीएच के नाम पर देय होगा, जो करार अवधि समाप्ति के उपरान्त वापिस की जावेगी।
20. क्रम संख्या 01 पर उल्लेखित प्रथम तीन वाहन — स्कॉरपियों, बालेरो एवं ग्राण्डे जायलो के वाहनों की दरें न्यूनतम होने पर ही कार्यालय द्वारा अनुबंधित करने पर विचार किया जावेगा अन्यथा नहीं।
21. निदेशक को बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार या आंशिक स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जो सभी को मान्य होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रशासनिक अधिकारी
कृते निदेशक

प्रति,

निविदाकार का पता—

वाहन किराये पर लगाने बाबत् फार्म

प्रति,

निदेशक
 आई.सी.एम.आर.
 रा०ज०स्वा०अ०सं०
 नागपुर रोड, पो०आ००-गढ़ा,
 जबलपुर-482003

विषय:- वाहन किराये पर लगाने वावत।

महोदय,

विषयान्तर्गत, मैं अपने वाहन जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है कि आपके कार्यालय में आपकी शर्तों के अधीन किराये पर लगाना चाहता हूँ जिसके लिये मैं अपनी न्यूनतम दरें समस्त खर्चों/व्ययों जिनमें वाहन का मरम्मत-सुधार कार्य, टेक्स, इंश्योरेन्स, वेटिंग व हॉलिटंग एवं वाहन चालक आदि के व्यय सम्मिलित हैं (सिवाय डीजल व ऑयल के जो वास्तविक व्यय या कम से कम 10 किलोमीटर प्रति लीटर ए.सी. वाहन के लिए एवं 11 किमी. प्रति लीटर नॉन ए.सी. वाहन के लिए की दर से व ऑयल 1000 किमी. पर 1 लीटर एवं 500 किमी. पर आधा लीटर कार्यालय द्वारा दिया जाना छोड़कर) सहित नीचे दिये नियत प्रारूप में वाहन से संबंधित समस्त कागजात जैसे— वाहन के पंजीयन की, इन्श्योरेन्स, टेक्सी परमिट व वाहन स्वामी होने का प्रमाण आदि की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। दरें आगामी एक वर्ष तक बिना किसी बदलाव के प्रभावी रहेंगी।

क्र.	वाहन का विवरण	निर्माण वर्ष	टेक्सी परमिट नं./दि.	किराया प्रति माह ए.सी.	किराया प्रति माह नॉन ए.सी.
1.	स्कार्पिंयो				
2.	बोलेरो				
3.	ग्राण्डे/जायलो				
4.	टवेरा				

साथ ही यह घोषणा करता हूँ कि मुझे किराये पर वाहन लगाये जाने संबंधी नियम एवं शर्तें पूर्णतः मंजूर हैं और यदि मेरे वाहन/वाहनों को किराये पर कार्यालय द्वारा लगाया जाता है तो मैं कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर नियत समय व तिथि को अपना वाहन भेजूंगा, इस सहमति के साथ मैंने अपनी दरें प्रस्तुत की हैं।

संलग्न:- गाड़ियों से संबंधित कागजात।

भवदीय
 ()
 पूरा पता—

नोट:- निविदाकार/फर्म या तो अपने फर्म के लेटर हेड पर दरें प्रस्तुत करेगा या अपनी फर्म की सील लगाकर इस फार्म को भरेगा। साथ ही फोर व्हील ड्राइव के वाहन की दरें अलग से इस फार्म पर दे सकते हैं।